कार्यालय–निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/माध्य/निप्र/डी–1/21901/पप/2017/212 दिनांक–24.05.2019

:: परिपत्र ::

विषय–परीक्षा परिणाम एवं नामांकन समीक्षा मानदण्ड एवं दायित्व के सम्बन्ध में।

समसंख्यक विभागीय परिपत्र दिनांक : 18.04.16 द्वारा परीक्षा परिणाम एवं नामांकन की समीक्षा हेतु नवीन मानदण्ड एवं दायित्व निर्धारित किये गये हैं, जो कि शैक्षिक सत्र : 2016–17 से प्रभावी हैं। राजकीय विद्यालयों में नामांकन वृद्धि एवं लक्ष्य अर्जन को प्राथमिकता सम्बन्धी अपेक्षाओं के क्रम में परीक्षा परिणाम एवं नामांकन लक्ष्य को पारस्परिक अन्याश्रित रूप प्रदान करने हेतु संदर्भित निर्देश दिनांक : 18.04.16 के बिन्दु सं0 – 1 (ब) एवं 2 (ब) द्वारा विहित अनुशासनिक कार्यवाही पर निर्णय से पूर्व विचारार्थ एतद् द्वारा अतिरिक्त प्रावधान सम्मिलित किए जाते हैं :–

- **नामांकन** – वर्तमान में कक्षा समूहवार निर्धारित आदर्श नामांकन लक्ष्यों के अनुरूप प्राथमिक स्तर पर कक्षा – 1 से 5 के लिए 150, उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा – 6 से 8 के लिए 105, माध्यमिक स्तर पर कक्षा – 9 से 10 के लिए 100 तथा उच्च माध्यमिक स्तर पर कक्षा – 11 से 12 में संकाय अनुसार प्रति संकाय 100 विद्यार्थियों का नामांकन अपेक्षित है। समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी प्रवेशोत्सव कार्यक्रम प्रारम्भ होने से पूर्व ही उक्त आदर्श नामांकन के अनुरूप क्षेत्राधिकार में प्रत्येक विद्यालय हेतु उस वर्ष के लिए नामांकन लक्ष्य का निर्धारण करेंगे। जिन विद्यालयों का नामांकन पूर्व से ही आदर्श नामांकन के अनुरूप अथवा उससे अधिक है, तो तुलनात्मक रूप से सामान्यतया 10 प्रतिशत तक नामांकन वृद्धि का लक्ष्य आवंटित किया जावे। उक्तानुरूप प्रत्येक विद्यालय को आवंटित नामांकन वृद्धि के लक्ष्य का अंकन विद्यालय के नामांकन रजिस्टर में दर्ज कर नव प्रवेशित विद्यार्थियों के साथ अभिलेखपूर्वक संधारित किया जावे। संस्था प्रधान नामांकन वृद्धि हेतु आवंटित लक्ष्य को कक्षावार पृथक्–पृथक् शिक्षकों में वितरित कर उसका अभिलेख समुचित रूप से संधारित करेंगे। नामांकन प्रक्रिया पूर्ण होने (सामान्यतया प्रतिवर्ष 30 सितम्बर तक) के उपरान्त संस्था प्रधान द्वारा नामांकन वृद्धि एवं लक्ष्य प्राप्ति की कक्षावार एवं शिक्षकवार समीक्षा की जाएगी। समीक्षा के अनुरूप लक्ष्य प्राप्ति की स्थिति होने अथवा न होने के सम्बन्ध में स्पष्ट टिप्पणी सम्बन्धित अभिलेखों में दर्ज की जाएगी। इसी प्रकार जिला स्तर पर संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा क्षेत्राधिकार के समस्त विद्यालयों हेतु आवंटित लक्ष्यों के विरूद्ध कक्षा समूहवार अर्जित नामांकन वृद्धि अथवा कमी का सुस्पष्ट अंकन सम्बन्धित अभिलेखों में कर तद्नुरूप सम्बन्धित संस्था प्रधान को प्रमाण – पत्र/नोटिस जारी किया जाएगा।
- **परीक्षा परिणाम** – संदर्भित परिपत्र दिनांक : 18.04.16 में बोर्ड कक्षाओं के परीक्षा परिणाम की समीक्षा हेतु संस्था प्रधान एवं शिक्षकों के लिये परीक्षा परिणाम के मानदण्ड निर्धारित हैं, परन्तु संस्था प्रधानों/शिक्षकों द्वारा विद्यालय में नामांकन वृद्धि हेतु किए गए प्रयासों को परीक्षा परिणाम मानदण्ड से जोड़ते हुए एतद् द्वारा यह प्रावधान किया जाता है कि संस्था प्रधान द्वारा समीक्ष्य सत्र में कक्षा समूह वार प्रदत्त नामांकन लक्ष्यों की शत्–प्रतिशत प्राप्ति की गई है, तो उन्हें न्यून परीक्षा परिणाम की समीक्षा हेतु निर्धारित मानदण्ड में अधिकतम 10 प्रतिशत तक का शिथिलन प्रदान किया जा सकेगा। उदाहरणार्थ – यदि माध्यमिक विद्यालय के संस्था प्रधान द्वारा समीक्ष्य सत्र में लक्षित नामांकन अर्जित (सामान्यतया प्रतिवर्ष 30 सितम्बर तक) कर लिया गया है, तो तत्सम्बन्धी संस्था प्रधान के लिए परीक्षा परिणाम हेतु निर्धारित मानदण्ड में 50 प्रतिशत के स्थान पर 10 प्रतिशत तक का अधिकतम शिथिलन देते हुए 40 प्रतिशत अथवा उससे न्यून मानते हुए आगामी कार्यवाही सम्पादित की जाएगी। इसी प्रकार उच्च माध्यमिक विद्यालय के संस्था प्रधान के लिए परीक्षा परिणाम हेतु निर्धारित मानदण्ड में 60 प्रतिशत के स्थान पर 10 प्रतिशत तक का अधिकतम शिथिलन देते हुए 50 प्रतिशत अथवा उससे न्यून मानते हुए आगामी कार्यवाही सम्पादित की जाएगी। इसी अनुरूप शिक्षक द्वारा नामांकन हेतु

Scanned by CamScanner

आवंटित लक्ष्य की प्राप्ति पर समीक्ष्य सत्र में उसे परीक्षा परिणाम मानदण्ड में 10 प्रतिशत तक का अधिकतम शिथिलन देय होगा । उदाहरणार्थ – यदि माध्यमिक कक्षा में शिक्षण करवाने वाले शिक्षक द्वारा समीक्ष्य सत्र में लक्षित नामांकन अर्जित (सामान्यतया प्रतिवर्ष 30 सितम्बर तक) कर लिया गया है, तो तत्सम्बन्धी शिक्षक के लिए परीक्षा परिणाम हेतु निर्धारित मानदण्ड में 60 प्रतिशत के स्थान पर 10 प्रतिशत तक का अधिकतम शिथिलन देते हुए 50 प्रतिशत अथवा उससे न्यून मानते हुए आगामी कार्यवाही सम्पादित की जाएगी। इसी प्रकार उच्च माध्यमिक कक्षा में शिक्षण करवाने वाले शिक्षक द्वारा समीक्ष्य सत्र में लक्षित नामांकन अर्जित (सामान्यतया प्रतिवर्ष 30 सितम्बर तक) कर लिया गया है, तो तत्सम्बन्धी शिक्षक के लिए परीक्षा परिणाम हेतु निर्धारित मानदण्ड में 70 प्रतिशत के स्थान पर 10 प्रतिशत तक का अधिकतम शिथिलन देते हुए 60 प्रतिशत अथवा उससे न्यून मानते हुए आगामी कार्यवाही सम्पादित की जाएगी।

इसके अतिरिक्त नामांकन में लक्ष्य से 100 प्रतिशत अधिक उल्लेखनीय वृद्धि करने वाले संस्था प्रधानों एवं शिक्षकों को विशेष वृद्धि (लक्ष्य से अधिक) के प्रतिशत अनुपात में विहित परीक्षा परिणाम मानदंडों में शिथिलन देय होगा।

- उल्लेखित शिथिलन हेतु सम्बन्धित संस्था प्रधान/शिक्षक की पात्रता पर उसी स्थिति में विचार किया जाएगा, जब कि सम्बन्धित अनुशासनिक प्राधिकारी के समक्ष सम्बन्धित नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रदत्त तत्सम्बन्धी प्रमाण – पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

उपर्युक्त प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। परिपत्र में वर्णित अन्य मानदण्ड एवं निर्देश यथावत रहेंगे।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान,बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त,स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद सह विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. राज्य परियोजना निदेशक,समग्र शिक्षा अभियान एवं अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायत राज (प्रारम्भिक शिक्षा), राजस्थान, बीकानेर।
5. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
6. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद., उदयपुर।
7. निदेशक, शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग (ई.टी.सैल.), राजस्थान, अजमेर।
8. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
9. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
10. वरिष्ठ संपादक ''शिविरा'',प्रकाशन अनुभाग, कार्यालय हाजा को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
11. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक/प्रारम्भिक ।
13. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान ।
14. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
15. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

Scanned by CamScanner